न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 68/2010

प्रार्थीगणः—

1. हरीराम पुत्र श्री बगताराम
2. मालाराम पुत्र श्री बगताराम
   जाति जाट निवासी मीनों की ढाणी चेराई
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. गजाराम पुत्र श्री किस्तुराराम, जाति जाट निवासी मीनों की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. मगाराम पुत्र श्री गंगाराम के कायम मुकाम
   2/1 कमला पुत्री श्री मगाराम
   2/2 बरजु पुत्री श्री मगाराम
   2/3 श्रीमति जानी पत्नी श्री मगाराम
   2/4 देवी पुत्री श्री मगाराम
   जातियान जाट निवासीगण मीनों की ढाणी, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थीगण — अधिवक्ता श्री रूगाराम चौधरी।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।
अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 20/01/2020

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि:— ग्राम मीनों की ढाणी चेराई के खसरा नम्बर 7 रकबा 116 बीघा 13 बिस्वा तहसील

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

ओसियां, जिला जोधपुर में आई हुई है। विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में गंगा पुत्र लाखा 1/4, गजाराम पुत्र किस्तुराराम 1/4, आईदान पुत्र मोती 1/2 दर्ज था। खातेदार गजा पुत्र किस्तुरा ने अपना 1/4 हिस्सा प्रार्थीगण को जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 20.11.72 को कर दिया। प्रार्थीगण के पक्ष में बेचान दस्तावेज निष्पदित कर पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर लिया। मौके पर प्रार्थीगण को कानूनी व भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया। प्रार्थीगण वक्त खरीद दिनांक 20.11.72 से काबिज है। गजा पुत्र किस्तुरा ने अपने हक हिस्से की भूमि प्रार्थीगण को बेचान करने के पश्चात् बेचान दस्तावेज दिनांक 20.11. 1972 की अनुपालना में ग्राम पंचायत चेराई द्वारा मजमे आम में नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 07.01.1974 को स्वीकार किया गया। प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 677 दिनांक 07.01.1974 को स्वीकृत हो जाने के पश्चात् प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण वक्त खरीद से काबिज काश्त एवं रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1 गजाराम ने नामान्तरकरण संख्या 677 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसका निस्तारण दिनांक 21.04.2008 को किया गया एवं निर्णय दिनांक 21.04.2008 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसका निस्तारण दिनांक 29.07.2010 को किया जा चुका है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 29.07.2010 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणीयां, पीने के पानी के टांके, बाड़े बने हुए है प्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहवासीय ढाणी में निवास करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को चुनौती दी है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी के अपने 1/4 हिस्से को बेचान करने से इन्कार किया है। जबकि प्रार्थीगण का नाम बेचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में सन् 1974 से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 को यह कोई विधिक अधिकार नहीं है कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त स्वामित्व की कृषि भूमि से प्रार्थीगण को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करें। प्रार्थीगण उपरोक्त विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु है प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा [illegible]य क्षति नहीं होगी। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य के जरिये करावें प्रार्थीगण को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई ने वकालात नामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

यह है कि बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 116 बीघा 13 बिस्वा ग्राम मीनों की ढाणी में प्रार्थीगण द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि गजा पुत्र किस्तुरा से खरीद की हुई है तथा खरीद की दिनांक 20.11.1972 से ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणियां, टांके, बाडे इत्यादि बने है तथा प्रार्थीगण परिवा सहित निवास करते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है ग्राम मीनों की ढाणी तहसील ओसियां वर्तमान तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 7 रकबा 116 बीघा 13 बिस्वा में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा 1/4 हिस्से की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 दखलन्दाजी न तो स्वयं करें और न ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थीगण को विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर, प्रथम
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 20/01/2021 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:41:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner